बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या–11/आ०2–1032/2025– 1571 पटना, दिनांक– 18/07/25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम अन्तर्गत संचालित "हर घर नल का जल" योजनाओ के क्रियाशीलता की जाँच जिला प्रशासन के स्तर से विभिन्न चरणों में करायी गयी। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में किये गये जाँच के अनुसार प्रमंडलान्तर्गत क्रमशः कुल 3343 अदद् योजनाओं की जाँच में से कुल 478 अदद् योजनाएँ एवं कुल 526 अदद योजनाओं में से कुल 21 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी।

02. जीरो ऑफिस डे(ZOD) के तहत मार्च, 2025 में किये गए स्थल निरीक्षण में पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित कुल 1538 अदद योजनाओं में से 64 अदद योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी एवं 27 अदद योजनाएँ असंतोषजनक पायी गयी तथा विभागान्तर्गत संचालित कुल 1369 अदद योजनाओं की जाँच में 08 अदद योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी। अप्रैल, 2025 में कुल 1013 अदद योजनाओं के निरीक्षण में 21 अदद योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी।

03. दिनांक–28.03.2025 को हुई समीक्षात्मक बैठक में केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण कोषांग(CGRC) पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 18 अदद शिकायतें लंबित पाये जाने के आलोक में श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम को अपने कार्यशैली में सुधार लाने हेतु चेतावनी दी गई थी। पुनः दिनांक–09.05.2025 को हुई समीक्षात्मक बैठक में कुल 46 अदद शिकायतें पोर्टल पर लंबित पाये जाने हेतु श्री प्रसाद को कठोर चेतावनी दी गई। इसके बावजूद दिनांक–16.05.2025 को हुई समीक्षात्मक बैठक में पाया गया कि कुल 52 अदद शिकायतें निष्पादन रहित थी। उक्त से स्पष्ट है कि श्री प्रसाद को लगातार चेतावनी दिये जाने के बावजूद शिकायत निष्पादन में उनके स्तर से सक्रियता नहीं दिखाई गई एवं कार्यशैली में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं लाया गया। उनका उक्त कृत्य आमजनों के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। साथ ही सरकार के सात महत्त्वपूर्ण निश्चयों में से एक महत्त्वपूर्ण निश्चय के क्रियान्वयन में उनकी लापरवाही का द्योतक है।

04. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या–543, दिनांक–28.02.2021 एवं संकल्प संख्या–1676, दिनांक–12.08.2024 में निहित प्रावधानों के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं में साधारण मरम्मति का कार्य 24 घंटे के अन्दर एवं असधारण मरम्मति का कार्य 3–5 दिनों के अन्दर कराते हुए जलापूर्त्ति को सुचारू रूप से बहाल किया जाना है। साथ ही इस तरह के किसी भी समस्या के निराकरण हेतु कार्यपालक अभियंता को समीक्षा पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए जलापूर्त्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति उप निदेशक(अन्वेषण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के स्तर से जलापूर्त्ति योजनाओं के निरीक्षण में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गयी।

05. श्री प्रसाद का उपर्युक्त कृत्य बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता मे वर्णित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(i), 3(1)(ii) एवं

3(1)(iii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

06. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो0 जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या–05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

07. आरोपित श्री प्रसाद, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव–बयान समर्पित करेंगे।

08. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति उप निदेशक(अन्वेषण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो0 जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या–05, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०-
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–11/आ०2–1032/2025– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०-
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–11/आ०2–1032/2025–　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव–सह–जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं मो0 जुबैर, कार्यपालक अभियंता–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या–05, पटना/श्री नन्द किशोर प्रसाद, उप निदेशक(अन्वेषण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोपरि।

ह०–
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–11/आ०2–1032/2025– 1571　　　　　　　　　　पटना, दिनांक– 18/07/25

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.07.25
(संजीव कुमार)
विशेष सचिव
18/7/25